>

Title: Need to include relaxation of age and attempts in Examination under EWS Reservation.

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल : महोदय, मैं एक अति महत्वपूर्ण विषय पर आपका ध्यान और आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

महोदय, इसके पहले, मैं देश के प्रधान मंत्री जी को हृदय से बधाई देना चाहता हूं कि 9 जनवरी, 2019 को एक संविधान संशोधन करके उन्होंने सामान्य वर्ग के आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों के लिए दस फीसदी आरक्षण सुनिश्चित करने का काम किया । आज तक लोगों ने कुछ नहीं किया । प्रधान मंत्री जी ने 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' की अपनी सोच को सही मायनों में करोड़ों युवाओं के लिए धरती पर उतारने का काम किया है ।

महोदय, इसमें मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि ई.डब्ल्यू.एस. आरक्षण के दायरे में आने वाले लोग एस.सी., एस.टी., ओबीसी नहीं हैं, लेकिन वे गरीब हैं, जिनकी परिभाषा सरकार ने तय की है । मिसाल के तौर पर, जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपये वार्षिक के लगभग है, उन्हें इसके दायरे में लाया जाएगा । ई.डब्ल्यू.एस. आरक्षण के लिए लाए गए डीओपीटी के नोटिफिकेशन में इन लोगों के लिए उम्र और अटेम्प्ट की छूट का जिक्र नहीं है ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि ई.डब्ल्यू.एस. आरक्षण के तहत सवर्ण गरीबों के लिए आरक्षण में जो छूट दी गई है, उसमें उम्र और अटेम्प्ट के लिए भी सरकार व्यवस्था करे, जिससे कि उन्हें इसका पर्याप्त लाभ मिल सके ।